



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 05 अगस्त, 2025 ई०

श्रावण 14, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन  
न्याय अनुभाग-1

संख्या:- 317/XXXVI-A-1/2025-09 भा०स०/2001

देहरादून, 05 अगस्त, 2025

अधिसूचना/नियुक्ति

प० आ०-65

मा० मुख्य न्यायाधीश, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की संस्तुति से श्री राज्यपाल स्वापक औषधि एवं मन्: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन०डी०पी०एस० एक्ट), 1985 की धारा 36 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम की धारा 36ए के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले मामलों की सुनवाई हेतु सुश्री अंजूश्री जुयाल, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार को अपने पद एवं कर्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त जिला हरिद्वार में स्थित उक्त विशेष न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। पदधारक को इस हेतु विशेष वेतन/अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,  
प्रशान्त जोशी,  
प्रमुख सचिव।